कार्यालयः—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक/अर्थ/ प्रशिक्षु शिक्षक चयन—2011/ 1459-60 /2015—16 दिनांक 13 जुलाई—2015

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 3116/79—5—14(10)/2010, शिक्षा अनुभाग—5, दिनांक 27.09.2011, शासनादेश संख्या 3465/79—5—2014—14(10)/2010,टी.सी. दिनांक 27.06.201, शासनादेश संख्या 3505/79—5—2014—14(10)/2010,टी. सी.,दिनांक 01.07.2014, शासनादेश संख्या 3599/79—5—2014(10)/2010,टी.सी. शिक्षा अनुभाग—5 लखनऊ दिनांक 11.07.2014 तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली मे योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1874—1902/2014 मे पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 तथा विशेष अपील संख्या 237/2013 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2013 विशेष अपील संख्या 4347—4375/2014 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 17.12.2014 एवं 25.02.2015 के अनुपालन में एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उ0प्र0,लखनऊ में दिनांक 06.01.2015 एवं 07.01.2015 को हुई बैठक एंव 01.07.2015 को विडियो कान्फ्रेंसिग में में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, द्वारा उपलब्ध कराये गये, रिक्ट सीटो के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियो की पांचवी कटऑफ सूची के आधार पर मूल अभिलेख जमा करने हेतु नीचे अंकित तिथियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छोटा मवाना, मेरठ में प्रातः 10 बजे मूल शैक्षिक अभिलेख तथा शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियाँ/अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 प्रमाण पत्र/सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/विकलांग प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंन्त्रता संग्राम सैनानी/आश्रित सम्बन्धी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा एक फोटोयुक्त नोटरी शपथपत्र (जिसमें अभ्यर्थी का नाम,पता,मो0न0 एवं समस्त अभिलेखो की सत्यता,कूटरचित,फर्जी अथवा किसी प्रकार का तथ्य गोपन पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के साथ साथ विधिक कार्यवाही की जाने की सहमति का उल्लेख हो) के साथ साथ समस्त अभिलेखो की दो स्वप्रमाणित छायाप्रति (एक फाईल में) के साथ स्वंय उपस्थित हो। यदि समस्त उपरोक्त अभिलेखो के साथ निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से वांछित अभिलेख नही उपलब्ध कराये जाते है तो चयन पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा तथा आप द्वारा दिये गये किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भ्व नही होगा। प्रशिक्षु शिक्षक चयन—2011 की पांचवी औपबन्धिक सूची जनपद की वेबसाइट www.meerut.nic.in पर उपलब्ध है। पांचवी कटऑफ का विवरण निम्नवत् है—

वर्ग/श्रेणी	कटऑफ	जन्मतिथि	मूल अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित तिथि
महिला/एस0सी0/ कला	100	07—09—1978	दिनांक— 16.07.2015 को समस्त महिला एवं समस्त पुरूष, अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छोटा मवाना,मेरठ।
पुरूष/अना0/कला	109	15—01—1977	
पुरूष/ओ0बी0सी0/विज्ञान	123	15—06—1988	
पुरूष/एस0सी0/विज्ञान	97	18—07—1988	

नोटः—1. उपरोक्त जारी पांचवी औपबन्धिक सूची केवल मूल अभिलेख जमा कराने हेतु है इसमें नाम सम्मिलित होने से किसी अभ्यर्थी का चयन नही माना जायेगा। उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा मूल अभिलेख जमा कराने के पश्चात रिक्त सीटों को दृष्टिगत रखते हुए रिशफलिंग प्रक्रिया के तहत वरीयताक्रंम में अन्तिम चयन सूची पृथक से जारी की जायेगी।
2. यह अनन्तिम पांचवी सूची माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, प्रत्यावेदन एवं किसी लिपिकीय त्रुटि संशोधन के अधीन होगी।

(मौ0 इकबाल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

मेरठ पृ0स0/अर्थ/ 1459-60 /2015—16 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः— सम्पादक दैनिक जागरण/सम्पादक अमर उजाला मेरठ को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचर पत्र में सरकारी दर पर मेरठ संस्करण मे प्रकाशित करने का कष्ट करे, जिसकी एक प्रति (प्रकाशितोपरान्त) विज्ञप्ति का व्यय सम्बन्धी बिल का भुगतान दो प्रतियों मे अधोहस्ताक्षरी के कार्यलय मे उपलब्ध कराये जिससे आपके भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

(मौ0 इकबाल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

मेरठ।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

जनपद मेरठ।

पत्रांक/अर्थ/ 4547 /2015–16 दिनांकः– 14/07/15

विषयः– प्रशिक्षु शिक्षक–2011 की कट ऑफ मैरिट सूची NIC की वैबसाइट पर Upload कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा प्रशिक्षु शिक्षक–2011 की कट ऑफ मैरिट सूची NIC की साइट पर Upload कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसकी काउन्सिलिंग दिनांक 16.07.2015 को कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुऐ है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रशिक्षु शिक्षक–2011 की कट ऑफ मैरिट सूची NIC की साइट़ पर Upload कराने हेतु NIC Incharge को आदेशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–कट ऑफ मेरिट विज्ञप्ति।

भवदीय

(मौ0 इकबाल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

NIC
आ0 क0 औ0
14/7/15
ADM